


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 19, 1969/आषाढ 28, 1891

No. 29]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 19, 1969/ASADHA 28, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 2nd July 1969

G.S.R. 1629.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby directs that on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the Railway Services (Safeguarding of National Security) Rules, 1954 shall stand repealed except as respects things done or omitted to be done thereunder.

[No. NS/Policy/15.]

C. S. PARAMESWARAN, Secy.

DULE

in Department of Cabinet Affairs

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion or transfer & percentage of vacancies to be filled by various methods	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
N.A.	Two years if filled by promotion.	By promotion failing which by deputation.	By promotion from the posts of Technical Assistants (of the scale of Rs. 210-425) with 7 years' service in that grade. Deputation of U.D.Cs. from the offices of A.G.'s with 10 to 12 years of service in that grade.	Class III D.P.C.	N. A.

[No. 3/2/69-Admn.]

T. S. ANANTAKRISHNAN, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 19 July 1969.

G.S.R. 1682.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, published with the Notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. G.S.R. 347 dated the 6th March, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class II Posts) Recruitment (First Amendment) Rules, 1969.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, after S. No. 18 and the entries relating thereto, the following shall be inserted:—

1	2	3	4	5	6	7
19.	Senior Accountant.	2	General Central Service Class II Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 270—15—435—EB—20 575.	Selection	Not applicable.

8	9	10	11	12	13	14
Not applicable.	Not applicable.	2 Years.	By promotion failing which by transfer on deputation.	<p><i>Promotion:</i> Head Clerk/Accountants with 5 years' regular service in the grade out of which 3 years' service should be in the post of Accountant.</p> <p><i>Transfer on deputation:</i> Officers of the rank of S.A.S. Accountant from any of the organized Accounts Departments e.g. Indian Audit & Accounts Department, Indian Defence Accounts Department, Indian Railway Accounts Department, etc. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).</p>	Class II Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations 1958.

[No. 7/12/68-B(A).]

A. V. NARAYANAN Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 जुलाई 1969

जी० एस० आर० 1683.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 347, तारीख 6 मई, 1962 में प्रकाशित आकाशवाणी (द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1962 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1969 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।]

2. आकाशवाणी (द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1962 के परिशिष्ट में, क्रम संख्या 18 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	सीनियर लेखापाल ।	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा द्वितीय श्रेणी अराजपत्रित लिपिक वर्गीय ।	270-15- 435-द० र० -20-575 रुपये ।	सेलेक्शन नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

10 11 12 13 14

2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर बदली द्वारा ।	पदोन्नति: प्रधान लिपिक/लेखापाल जिनकी ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो जिसमें लेखापाल के पद पर 3 वर्ष की सेवा हो ।	द्वितीय श्रेणी विभागीय पदोन्नति समिति ।	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से मुक्ति) विनियम, 1958 के अनुसार ।
		प्रतिनियुक्ति पर बदली: किसी भी संगठित लेखा विभाग अर्थात् भारतीय लेखापरीक्षा व लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग, भारतीय रेलवे लेखा विभाग, आदि से एस०ए०एस० के रैंक के लेखापाल (प्रति- नियुक्ति की अवधि सा- मान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।		

[संख्या 7/1268-बी(ए)]

जी० एस० आर० 1684:—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1776, तारीख 30 नवम्बर, 1964 में प्रकाशित आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1969 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1969 के परिशिष्ट में क्रम संख्या 59 के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जाएं:—

परि-

क्रम संख्या		पदों का विवरण		भर्ती पद्धति तथा रिक्तियों का वह प्रतिशत जो इस प्रकार भरा जाए			
पदनाम	पद का वर्गीकरण	वेतनमान	सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा			
				चयन	वरिष्ठता	स्थाना- न्तरण	योग्यता आधार
1	2	3	4	5	6	7	8
44.	अनुसन्धान सहायक ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, तृतीय श्रेणी, अलिपिहीय, गैर राजपत्रित ।	210-10-290-15-320-द० अ० -15-425 रुपये ।	100%	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

शिष्टः

सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं	पिक्षाधीन प्रवधि	पदोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के लिये अर्हताएं		
<p>आय सीमा शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं जिनकी जरूरत है</p>	<p>नया पदोन्नति स्थानान्तरण द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के लिये भी वह शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी जो सीधी भर्ती के लिये हैं।</p>	<p>वे ग्रेड/लोट जिनसे पदोन्नति/स्थानान्तरण किया जाता है।</p>		
9	10	11	12	13

45 वर्ष से कम।	<p>जरूरी :— (1) अर्थशास्त्र, सांख्यिकी समाजशास्त्र या अन्य सामाजिक विज्ञान में डिग्री।</p>	दो वर्ष	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।
	<p>(2) क्षेत्रीय अनुसन्धान या सांख्यिकी जांच पर सरकारी कार्यालय में अनुसन्धान या मास्यता प्राप्त अनुसन्धान इन्स्टीट्यूट या संस्था में कुछ अनुभव।</p>			
	(3) सांख्यिकी में दक्षता।			

[संख्या 17(13)/68-बी (ए)]

ए० बी० नारायणन्, अधीक्षक सचिव।